

न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड(म.प्र.)

(समक्ष:-मोहम्मद अज़हर)

विविध व्यवहार अपील क.20/16संस्थित दिनांक-22.08.2016

श्रीमती बेबी पुत्री मदनलाल पत्नी विद्याराम
आयु 45 साल जाति कडेरे निवासी वार्ड
नंबर-16 गांधी नगर गोहद जिला भिण्ड
म0प्र0

..... अपीलार्थी / वादीविरुद्ध

1. मदनलाल पुत्र हरीशचन्द्र आयु 65 साल जाति कडेरे धंधा खेती निवासी भडेरा परगना गोहद
2. श्रीमती रेखा पत्नी पुरुषोत्तम आयु 40 साल जाति कडेरे धंधा गृहकार्य निवासी भडेरा परगना गोहद
3. पुरुषोत्तम पुत्र विन्द्रावन आयु 45 साल जाति कडेरे निवासी भडेरा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

(आ दे श)

(आज दिनांक 26.04.2017 को पारित)

1. यह विविध सिविल अपील आदेश 43 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय व्यावहार न्यायाधीश वर्ग दो, गोहद, जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 54ए/2016 उन्वान श्रीमती बेबी बनाम मदनलाल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वादी/अपीलार्थी का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया गया है।
2. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्वीकृत रहे हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 01 मदनलाल वादी बेबी का पिता है। प्रतिवादी क्रमांक 03 पुरुषोत्तम प्रतिवादी क्रमांक 01 का भतीजा है। प्रतिवादी क्रमांक 02 रेखा प्रतिवादी क्रमांक 03 पुरुषोत्तम की पत्नी है। वादी का कोई सगा भाई नहीं है

तथा वादी की मां की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। वादी के पिता मदनलाल के पिता हरचन्द्र थे। हरचन्द्र के तीन पुत्र रामसहाय, प्रतिवादी क्रमांक 01 मदनलाल एवं वृंदावन है। वृंदावन की पत्नी रामकली, एक पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 01 पुरुषोत्तम तथा दूसरा पुत्र महादेव है। भूमि सर्वे क्रमांक 472 रकवा 0.24 हेक्टे0 एवं 480 रकवा 0.58 हेक्टे0 कुल रकवा 0.82 हैक्टे स्थित बांके मौजा भडैरा परगना गोहद के 1/2 भाग के मदनलाल प्रतिवादी क्रमांक 01 तथा 1/2 भाग के वृंदावन भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी थे।

3. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी के यह अभिवचन रहे हैं कि उक्त भूमि हरचन्द्र के स्वत्व एवं आधित्य की थी। हरचन्द्र के मरने के बाद उक्त भूमि मदनलाल एवं वृंदावन को प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि पूर्वजों से विरासत में प्राप्त संपत्ति है। जो कि सहदायिकी संपत्ति है। वादिया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-06 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 मदनलाल के नाम दर्ज भूमि भाग में जन्म के साथ सहदायिकी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं अर्थात् वादिया को जन्म से ही जिस प्रकार पुत्र को पिता की सम्पत्ति में सहदायिकी अधिकार प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार वादिया भी अपने पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 मदनलाल की पुत्री होने से सहदायिकी बन गई है। मदनलाल के हिस्से के 1/2 भाग की कृषि भूमि प्रकरण में विवादित है। जिसे आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा।

4. वादी के यह भी अभिवचन रहे हैं कि रामसहाय अपने हिस्से की भूमि चालीस वर्ष पूर्व अन्य लोगों को विक्रय कर वर्तमान में मुडियाखेडा भिण्ड के पास रह रहा है। वादिया अपने पिता मदनलाल की सगी पुत्री होकर एक मात्र उत्तराधिकारी है तथा मदनलाल की सेवा करती चली आ रही है तथा अपने पिता के साथ विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती करती चली आ रही है। प्रतिवादी क्रमांक 02 श्रीमती रेखा व उसके पति प्रतिवादी क्रमांक 03 पुरुषोत्तम ने गलत रूप से बिना कोई अनुबंध किए, बिना कोई प्रतिफल दिए प्रतिवादी क्रमांक 01 मदनलाल को फुसला कर विवादित भूमि का दिखावटी एवं बनावटी विक्रय पत्र अपने मेल के गवाह बनाकर प्रतिवादी

क्रमांक 02 श्रीमती रेखा के हक में लिखवाकर पंजीयन करा लिया है और उक्त दिखावटी एवं बनावटी विक्रयपत्र दिनांक 16.12.13 के आधार पर मौजा भडेरा की नामांतरण पंजी में आदेश दिनांक 25.10.14 से नामांतरण भी करा लिया है। प्रतिफल के श्रोत को नहीं बताया गया है।

5. वादी के यह भी अभिवचन रहे हैं कि इस वर्ष जब जुलाई माह में वादिया ने खेती कराई, तब प्रतिवादी क्रमांक 02 रेखा एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 पुरुषोत्तम ने वादिया को खेती करने से रोका और कहा कि उन्होंने विक्रयपत्र करा कर नामांतरण करा लिया है और वादिया को उक्त भूमि में कोई हक नहीं है। खसरे की नकल दिनांक 11.08.15 को प्राप्त पर उक्त नामांतरण एवं विक्रय की जानकारी हुई। वादिया ही मदनलाल के हिस्से की उक्त भूमि की स्वामी व आधिपत्यधारी है। मदनलाल के स्वर्गवास होने के बाद उक्त भूमि को प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादी क्रमांक 01 मदनलाल को सहदायिकी की उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसा अंतरण करने की मानसिक सूझबूझ एवं सोच की क्षमता भी उनकी नहीं थी और उन्हें भूमि विक्रय करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। उक्त विक्रयपत्र धोखाधड़ी के आधार पर निष्पादित कराया गया है। उक्त विक्रयपत्र से श्रीमती रेखा को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। कराया गया नामांतरण प्रभावहीन है। उक्त आधारों पर विवादित भूमि के संबंध में किए गए विक्रयपत्र को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने तथा वादी को विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित करने की प्रार्थना की गई। वादी की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0 (आई0ए0नंबर—1) का प्रस्तुत करते हुए आवेदिका/वादी के विवादित भूमि में कब्जे में प्रतिवादीगण द्वारा कोई बाधा उत्पन्न न करने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गयी ।

6. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क0—1, 2 एवं 3 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादी के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्यख्यान किया गया और यह अभिवचन किया गया है कि विवाह के बाद वादी का अपने पिता प्रतिवादी क0.—1 से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है।

वादी के पति की मृत्यु वादी के विवाह के एक वर्ष पश्चात हो गयी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात वादी अपनी मर्जी से किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है। अपने पिता प्रतिवादी क्र०-1 से लगभग 20 वर्षों से वादी का कोई संबंध नहीं है। इसलिये वादी को प्रतिवादी क्र०-1 की भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्र०-1 की कोई भी देखरेख व सेवा नहीं की गयी है। प्रतिवादी क्र०-1 वर्तमान में मेहनत मजदूरी कर अपना जीवनयापन कर रहा है तथा अपना भला-बुरा सोचने में पूर्ण रूप से सक्षम है। प्रतिवादी क्र०-2 व 3 द्वारा प्रतिवादी क्र०-1 को किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्र०-3 के पिता एवं प्रतिवादी क्र०-2 के ससुर वृन्दावन के द्वारा प्रतिवादी क्र०-1 मदनलाल को समय-समय पर अपनी पत्नी व बच्चों के इलाज हेतु तथा वादी के विवाह हेतु कर्ज लिया गया था, जो धीरे-धीरे बढ़कर 04-05 लाख रुपये होने पर अपना कर्जा चुकाने तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिवादी क्र०-1 ने प्रतिवादी क्र०-2 के पक्ष में विवादित भूमि का विक्रयपत्र निष्पादित किया क्योंकि प्रतिवादी क्र०-1 के पास अपना कर्जा चुकाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं था। विक्रयपत्र दिनांक से प्रतिवादी क्र०-2 और 3 उक्त भूमि पर स्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर खेती कर रहे हैं। वादी माह जुलाई में खेती करने नहीं गयी है। प्रतिवादी क्र०-1 अपने हिस्से की भूमि को विधिवत विक्रय करने की अधिकारी है। प्रतिवादी क्र०-2 व 3 के द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गयी है। उक्त आधारों पर वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी। प्रतिवादीगण क्र०-1 और 2 की ओर से वादी के आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा०दी० का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदनपत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी।

7. प्रकरण में मध्यप्रदेश राज्य को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है और उसके विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही गयी है।
8. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किया गया कि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक संपत्ति होना स्थापित नहीं होती है, वादी ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं कि

प्रतिवादी क०-1 द्वारा स्वेच्छया से विक्रय नहीं किया गया है, वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे कि स्पष्ट हो सके कि स्वत्व के अभाव में भी विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य है। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित न होना मानते हुए वादी का आवेदन निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध यह विविध सिविल अपील प्रस्तुत की गयी है।

9. इस विविध सिविल अपील में मुख्य आधार यह लिये गये हैं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-06 अनुसार वादी को अधिकार उत्पन्न हो चुके हैं। वादिया मदनलाल की पुत्री होकर आधिपत्य भी वादिया का परिलक्षित होता है, जिसे न मानते हुए विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने भूल कारित की है। उक्त आधार पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दि०-03/08/2016 निरस्त करते हुए वादी का आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 और 2 जा०दी० स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गयी है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर वादी के कब्जे में कोई बाधा पैदा न करे और न ही किसी अन्य से करावें। प्रत्यर्थीगण की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया है कि वादिया को विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी क०-1 ने प्रतिवादी क०-2 व 3 के पक्ष में विवादित भूमि के संबंध में विक्रयपत्र का निष्पादन कर दिया है। विचारण न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश उचित रूप से पारित किया गया है। जिसमें हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

10. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से इस विविध सिविल अपील के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार हैं :-

क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मूल व्यवहार वाद क०मांक 54ए/16 में पारित आदेश दिनांक 03/08/2016 स्थिर रखे जाने योग्य है अथवा उसमें हस्ताक्षेप किये जाने का कोई आधार है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

11. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त मूल व्यवहारवाद के मूल

अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा धारा-80 जा.दी. के नोटिस का मसौदाए, पंजीकृत डाक की रसीद, खसरा पंचशाला संवत् 2069-2073, विक्रयपत्र दि०-16/12/2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं पंचनामा की छायाप्रति एवं मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है। वादी की ओर से स्वयं का शपथपत्र एवं रामसहाय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

12. वादिया श्रीमती बेबी एवं रामसहाय ने अपने-अपने शपथपत्रों में यह बताया है कि मदनलाल की पत्नी फौत हो चुकी है और उसकी एक मात्र पुत्री वादिया बेबी है, मदनलाल की अन्य कोई संतान नहीं है। जिस भूमि का दावा किया है, वह हरचंद्र के समय की पुरानी पूर्वजों की भूमि है। रामसहाय के शपथपत्र में यह तथ्य है कि वह अपना हिस्से बेच चुका है तथा शेष बची भूमि पर मदनलाल और वृदावन आधे-आधे भाग के स्वामी हैं। बेबी मदनलाल के हिस्से की भूमि पर खेती कराती थी। बेबी के हिस्से का हक मारने के उद्देश्य से धोखा देकर विक्रयपत्र कराया गया है। एक ओर इस शपथपत्र में और वादी ने अपने वादपत्र में अपने पिता का नाम मदनलाल बताया है, वहीं उसकी ओर से जो पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, उसमें मदनगोपाल नाम बताया गया है। पंचनामा में वादिया का एक अन्य भाई सुरेश होना बताया गया है, जिसकी मृत्यु हो जाना बताया गया है। परंतु वादपत्र में ऐसा बताया ही नहीं है कि सुरेश नाम का कोई भाई था।

13. वादी की ओर से वाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-06 के आधार पर लाया गया है अर्थात् वर्ष 2005 में किए गये संशोधन के आधार पर लाया गया है, जिसके अनुसार पिता के जीवित रहते हुए पैत्रिक संपत्ति में पुत्री को भी सहदायिकी के अधिकार दिये गये हैं। हरचंद्र की मृत्यु कब हुई, ऐसा भी कोई अभिवचन नहीं है, क्योंकि यदि हरचंद्र की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू होने के पश्चात की है, तब वादी को सहदायिकी का अधिकार उत्पन्न होता है और यदि उससे पूर्व की है, तो वादी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

14. खसरे की सत्य प्रतिलिपि का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि विवादित भूमियों में मदनलाल का 1/2 हिस्सा एवं वृन्दावन की पत्नी की पत्नी रामकली, पुत्र पुरुषोत्तम एवं महादेव का 1/2 हिस्सा दर्ज है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित होना प्रकट होता है कि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक संपत्ति होना स्थापित नहीं होती है। वादी की ओर से इस संबंध में पूर्व की ऐसे किसी खसरे की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है कि जिसमें हरचंद्र का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हो या वादी के पूर्वज का नाम दर्ज हो। केवल मदनलाल का और वृन्दावन के वारिसान का नाम दर्ज होने मात्र से यह परिकल्पना नहीं की जा सकती है कि उक्त भूमि पैत्रिक संपत्ति है या संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति है।
15. मात्र एक खसरे के आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रकट है कि उक्त दोनों सर्वे नंबरों की भूमियां सहस्वामित्व की भूमि है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सहस्वामित्व की भूमि के संबंध में एक सहस्वामी विपक्ष में दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत किए गये दस्तावेज से प्रकट है कि विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। अतः यदि यह मान भी लिया जाये कि वादी उक्त भूमि की स्वामी है, तब भी एक सहस्वामी के पक्ष में दूसरे सहस्वामी के विरुद्ध बिना बंटवारा कराये स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विक्रयपत्र का निष्पादन होना स्वीकृत तथ्य है। यह साक्ष्य का विषय है कि उक्त विक्रयपत्र धोखे से कराया गया अथवा सही कराया गया। प्रथम दृष्टि में वादी विवादित भूमियों को पैत्रिक संपत्ति होने या अविभाजित परिवार की संपत्ति होना प्रमाणित करने में असफल रही है। उक्त आधार पर प्रथम दृष्टि में विवादित भूमि में अपना सहदायिकी का अधिकार स्थापित करने में असफल रही है।
16. ऐसी स्थिति में वादी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित न होना मानते हुए विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी वादी के पक्ष में न मानते हुए विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की

गयी है। इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आलोच्य आदेश दिनांकित-03/08/2016 में हस्ताक्षर किए जाने के कोई आधार नहीं है। उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है। अतः उक्त आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

17. यह विविध सिविल अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

18. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की ओर मूल अभिलेख सहित भेजी जावे।

आदेश न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड